अनुस्मारक / सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः:वा0क0अधि0 / परिपत्र / 2021 / 1880 **लखनऊ::दिनांक::दिसम्बर,** 07 **,2021**

समस्त सम्मानित पीठासीन अधिकारी / सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः: प्रदेश स्तर पर दिनांक 11.12.2021 में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र सं0–1852 / 21 दिनांक 29.11.2021 एवं परिपत्र सं0–1488 / 21 दिनांक 02.09.2021 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत विभिन्न पीठों में लम्बित एकल व युगल पीठ के वादों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर अधिक से अधिक वादों को नियत करते हुए निस्तारित करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मंशा के अनुरूप दिनांक 11.12.2021 दिन शनिवार को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि उनकी पीठ में लम्बित वादों का परीक्षण करके सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित करें।

समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक द्वितीय अपीलों का निस्तारण करके उसकी सूचना फैक्स / ई–मेल / व्हॉट्सएप द्वारा प्रेषित करें। विशेष ध्यान रखा जाये कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित अपीलों का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

Vinay Singh 07.12.21

(विनय सिंह)
ए0जे0एस0
प्र0 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः:वा0क0अधि0 / परिपत्र / 1980 / 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2. मुन्सरिम, मुख्यालय।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।